राजस्थान कानूनी नियम तथा आदेश (प्रसार) अधिनियम, 1957
(1957 का अधिनियम सं. 40)

(राज्यपाल की अनुमति 3 दिसम्बर, 1957 को प्राप्त हुई)

नये राजस्थान राज्य के आबू, अजमेर तथा सुनेल क्षेत्रों में राजस्थान की उन विधियों, जिनका प्रसार अब तक सम्पूर्ण नये राज्य में हो चुका है, के अधीन पुनर्गठन के राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, उपविधियों तथा आदेशों के प्रसार के लिए उपबन्ध करने हेतु विनियम ।

भारत गणराज्य के आठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान कानूनी नियम तथा आदेश (प्रसार) अधिनियम, 1957 है।

2. परिभाषाएं.- जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(i) 'राज्य' से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 37) की धारा 10 द्वारा निर्मित राजस्थान राज्य अभिप्रेत है; और

(ii) नियम, विनियम, अधिसूचना, उपविधि या आदेश के प्रति निर्देश से प्रयुक्त 'कानूनों' में अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुनर्गठन-पूर्व के राजस्थान राज्य को किन्हीं भी विधियों के अधीन, पुनर्गठन पूर्व राजस्थान राज्य के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाया गया नियम, विनियम, अधिसूचना, उपविधि या आदेश अभिप्रेत है।

3. साधारण खण्ड अधिनियम लागू होगा.- राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 8) के उपबन्ध इस अधिनियम पर यावत्शक्य, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

4. कानूनो नियमों, आदि का प्रसार.- अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुनर्गठन पूर्व राजस्थान राज्य की किन्हीं भी विधियों के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये गये समस्त कानूनी नियम, विनियम, अधिसूचनाएं उपविधियां तथा आदेश, जब तक कि वे पहले ही इस प्रकार प्रासरित या

लागू नहीं कर दिये गये हों और जब तक कि वे सम्यक रूप से उपांतरित या अतिष्ठित न कर दिये गये हों सम्पूर्ण नये राज्य में प्रसारित और लागू होंगे।

5. निर्देशों का अर्थान्वयन.- धारा 4 में निर्दिष्ट नियमों, विनयमों, अधिसूचनओं, उपविधियों तथा आदेशों में, किसी भी ऐसी विधि, जो राज्य के किसी भाग में प्रवृत्त नहीं है, के प्रति निर्देश का ऐसे भाग के सम्बन्ध में अर्थ ऐसे लगाया जायगा मानो वह ऐसे भाग में प्रवृत्त तत्समान विधि, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश और किसी तत्समान विधि के अभाव में उसे लोपित समझा जायगा ।

6. अर्थान्वयन का नियम.- धारा 4 में निर्दिष्ट किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, उपविधि या आदेश के लागू किए जाने को सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ कोई भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी सार को प्रभावित किए बिना ऐसे परिवर्तनों से वह अर्थ लगा सकेगा जो उस न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष के मामले उसके अनुकूलन के लिए आवश्यक या उचित हो।

7. नियम आदि बनाने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी.- इस अधिनियम की कोई भी बात अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के अधीन प्रयोक्तव्य से सरकार की या किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी की, सम्पूर्ण नये राज्य में धारा उसके द्वारा प्रसारित नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, उपविधियों तथा आदेशों को परिवर्तित लोपित, फेरफारित या विखण्डित करने की, शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी।

8. कठिनाई के निराकरण की शक्ति.-यदि धारा 8 द्वारा सम्पूर्ण नये राज्य में प्रसारित नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, उपविधियों तथा आदेशों के उपबन्धों नये राज्य के किसी भी भाग में कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी या निर्देश दे सकेगी जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

9. पूर्वतन नियमों आदि का अतिष्ठित किया जाना.- धारा 4 के अधीन प्रसारित और लागू किया गया है उनके समान कोई भी नियम, विनियम, अधिसूचनाए, उपविधियों तथा आदेश आदि

आबू, अजमेर या सुमेल क्षेत्रों में प्रवृत्त हो उन्हें एतदद्वार, अतिष्ठित तथा निससित किया जाता है।

परन्तु किसी ऐसे नियम, विनियम, अधिसूचना, उपविधि या आदेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई धारा 4 द्वारा सम्पूर्ण नये राज्य में प्रसारित तथा लागू किये गये नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, उपविधियों तथा आदेशों के अधीन की गई ऐसी कार्रवाई की जायेगी और तदनुसार प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि अतिष्ठित न कर दी जाए।

10. निरसन.- राजस्थान स्टेट्यूसरी रुल्स एण्ड आर्डर्स (एक्सटेन्शन) आर्डिनेंस, 1957 (राजस्थान आर्डिनेंस 8 ऑफ 1957), एतदद्वारा, निरसित किया जाता है।

<u>अनुसूची</u>

(देखिये धारा 4)

(1) राजस्थान परिसर (अधिग्रहण तथा बेदखली) अध्यादेश, 1949
(1949 का राजस्थान अध्यादेश 11)

(2) राजस्थान नाटक तथा मंनोरजन कार्यक्रम अध्यादेश, 1949
(1949 का राजस्थान अध्यादेश 29)

(3) राजस्थान औषधि द्रव्य (नियंत्रण) अध्यादेश, 1949
(1949 का राजस्थान अध्यादेश 31)

(4) राजस्थान विस्थापित व्यक्तियों का पुनःस्थापन (भूमि अर्जन) अध्यादेश, 1949
(1949 का राजस्थान अध्यादेश 33)

(5) राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश, 1949
(1949 का राजस्थान अध्यादेश 48)

(6) राजस्थान (पंद्यम परिवर्जन) अध्यादेश, 1950
(1950 का राजस्थान अध्यादेश 3)

(7) राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950
(1950 का राजस्थान अध्यादेश 7)

(8) राजस्थान लघुवाद न्यायालय अध्यादेश, 1950
(1950 का राजस्थान अध्यादेश 8)

(9) राजस्थान कतिपय पशु परिरक्षण अधिनियम, 1950
(1950 का राजस्थान अधिनियम 4)

(10) राजस्थान किशोर धूम्रपान निवारण अधिनियम, 1950
(1950 का राजस्थान अधिनियम 6)

(11) राजस्थान अफीम धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम, 1950
(1950 का राजस्थान अधिनियम 7)

(12) राजस्थान सशस्त्र कोन्सर्टबुलरी अधिनियम, 1950
(1950 का राजस्थान अधिनियम 12)

(13) राजस्थान पुनर्वास उधार अधिनियम, 1951
(1951 का राजस्थान अधिनियम 5)

(14) राजस्थान त्यक्तपदार्थ (खाद्य में संपरिवर्तन) अधिनियम, 1951
(1951 का राजस्थान अधिनियम 6)

(15) राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951
(1951 का राजस्थान अधिनियम 11)

(16) राजस्थान वन्य पशु तथा पक्षी संरक्षण अधिनियम, 1951
(1951 का राजस्थान अधिनियम 13)

(17) राजस्थान कृषि कीट तथा रोग अधिनियम, 1951
(1951 का राजस्थान अधिनियम 27)

(18) राजस्थान भूमि अधिग्रहण (कृषि सुधार) अधिनियम, 1951
(1951 का राजस्थान अधिनियम 29)

(19) राजस्थान लोकमांग वसूली अधिनियम, 1952
(1952 का राजस्थान अधिनियम 5)

(20) राजस्थान प्रभावित क्षेत्र (कार्यवाहियों का निलम्बन) अधिनियम, 1952
(1952 का राजस्थान अधिनियम 21)

(21) राजस्थान सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952
(1952 का राजस्थान अधिनियम 30)

(22) राजस्थान को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1953
(1953 का राजस्थान अधिनियम 4)

(23) राजस्थान आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1953
(1953 का राजस्थान अधिनियम 9)

(24) राजस्थान लघु सिचाई संकर्म अधिनियम, 1953
(1953 का राजस्थान अधिनियम 12)

(25) राजस्थान वन अधिनियम, 1953
(1953 का राजस्थान अधिनियम 13)

(26) राजस्थान निष्क्रान्त-हित (पृथक् करण) अनुपूरक अधिनियम, 1953
(1953 का राजस्थान अधिनियम 15)

(27) राजस्थान मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1953
(1953 का राजस्थान अधिनियम 16)

(28) भारतीय रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 1953
(1953 का राजस्थान अधिनियम 18)

(29) राजस्थान भूमि संक्षिप्त बन्दोबस्त अधिनियम, 1953
(1953 का राजस्थान अधिनियम 19)

(30) राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953
(1953 का राजस्थान अधिनियम 21)

(31) राजस्थान कृषि-आयकर अधिनियम, 1953
(1953 का राजस्थान अधिनियम 23)

(32) राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम, 1953
(1953 का राजस्थान अधिनियम 24)

(33) राजस्थान भूमि विशेष सिंचाई प्रभार अधिनियम, 1953
(1953 का राजस्थान अधिनियम 25)

(34) राजस्थान प्रसूति सुविधा अधिनियम, 1953
(1953 का राजस्थान अधिनियम 18)

(35) राजस्थान सेल्स ऑफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन एक्ट, 1954
(1954 का राजस्थान अधिनियम 6)

(36) राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थान अधिनियम, 1954
(1954 का राजस्थान अधिनियम 18)

(37) राजस्थान बेट्स एण्ड मेजर्स एक्ट, 1954
(1954 का राजस्थान अधिनियम 19)

(38) राजस्थान सिंचाई तथा जल निकास अधिनियम, 1954
(1954 का राजस्थान अधिनियम 21)

(39) राजस्थान कृषि भूमि उपभोग अधिनियम, 1954
(1954 का राजस्थान अधिनियम 22)

(40) राजस्थान जोत (समेकन और खंडकरण निवारण) अधिनियम, 1954
(1954 का राजस्थान अधिनियम 24)

(41) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954
(1954 का राजस्थान अधिनियम 27)

(42) राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954
(1954 का राजस्थान अधिनियम 28)

(43) राजस्थान विक्रय-कर अधिनियम, 1954
(1954 का राजस्थान अधिनियम 29)

(44) राजस्थान विष अधिनियम, 1955
(1955 का राजस्थान अधिनियम 2)

(45) राजस्थान बन्दी शनाख्त अधिनियम, 1956
(1956 का राजस्थान अधिनियम 12)

(46) राजस्थान सार्वजनिक उद्यान अधिनियम, 1956
(1956 का राजस्थान अधिनियम 21)

(47) राजस्थान राजगामी सम्पत्ति विनियमन अधिनियम, 1956
(1956 का राजस्थान अधिनियम 23)

(48) राजस्थान नौचालन विनियमन अधिनियम, 1956
(1956 का राजस्थान अधिनियम 26)

(49) राजस्थान खनन बस्ती अधिनियम, 1956
(1956 का राजस्थान अधिनियम 33)

(50) राजस्थान को-ओपेरेटिव लैण्ड मोरगेज बैंक्स एक्ट, 1956
(1956 का राजस्थान अधिनियम 38)

रणवीर सहाय वर्मा,
विधि सचिव ।